2 अगस्त, 2021 कार्यकारी आदेश 2021-17

कार्यकारी आदेश – स्वागतकारी इलिनॉय कार्यालय

जबकि, इलिनॉय राज्य अप्रवासियों और शरणार्थियों के लिए स्वागतकारी राज्य बनना चाहता है; और

जबकि, ये अप्रवासी वे छात्र, उद्यमी, वैज्ञानिक और श्रमिक हैं जो इलिनॉय के कार्यबल, समुदायों और सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में महत्वपूर्ण रूप से योगदान करते हैं; और,

जबकि, इलिनॉय राज्य में 18 लाख अप्रवासी रहते हैं, जो देश में किसी भी राज्य की छठी सबसे बड़ी अप्रवासी आबादी है; और,

जबकि, ये अप्रवासी, हमारे राज्य की जनसंख्या का 13.5% और हमारे राज्य के कार्यबल का 17.5% हैं; और,

जबकि, ये अप्रवासी हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था के अभिन्न अंग हैं, जिनसे $2.8 बिलियन व्यावसायिक आय का सृजन होता है और जो संघीय, राज्य और स्थानीय करों में हर साल 21.4 बिलियन डॉलर से अधिक का योगदान करते हैं; और,

जबकि, इन अप्रवासियों और शरणार्थियों ने सफलतापूर्वक ढंग से अपने जीवन का पुनर्निर्माण कर लिया है और पड़ोस को पुनर्जीवित करके और हमारे राज्य और समुदायों की सांस्कृतिक जीवन शक्ति को जोड़कर इलिनॉय में सकारात्मक सामाजिक और आर्थिक योगदान दिया है; और,

जबकि, अप्रवासन नीति का निर्माण संघीय स्तर पर होने के बावजूद, राज्य और स्थानीय स्तरों पर अप्रवासन एकीकरण के लाभों और बाधाओं का अनुभव किया जाता है; और,

जबकि, इलिनॉय राज्य, अप्रवासी समुदायों में मौजूद बाधाओं को समझता है और इसके लिए उसने अप्रवासी सेवाओं में अपना निवेश बढ़ा दिया है; और,

जबकि, COVID-19 के कारण आए सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के कारण मौजूदा प्रणालीगत असमानताओं में वृद्धि हुई है, इलिनॉय राज्य ने संघीय COVID-19 राहत कार्यक्रमों से बाहर रखे गए अप्रवासियों के लिए किराया और जनोपयोगी सेवा सम्बन्धी सहायता और वित्तीय सहायता प्रदान की; और,

जबकि, अब हमारे देश में पहले से कहीं अधिक, अप्रवासियों और शरणार्थियों के अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए राज्यों की तरफ से कार्यक्रम और नीति संबंधी नेतृत्व की आवश्यकता है; और,

जबकि, अप्रवासियों के स्वास्थ्य, कल्याण, आर्थिक प्रगति और सामाजिक प्रगति का समर्थन करना, एक नैतिक और वित्तीय अनिवार्यता है; और

जबकि, इलिनॉय एक अधिक स्वागतकारी राज्य है, यह सुनिश्चित करने के लिए रणनीतियां विकसित करने के लिए 102वीं महासभा में अप्रवासी और शरणार्थी नेतृत्वकर्ताओं को एजेंसियों में और बाहरी हितधारकों के साथ काम करने के लिए नियुक्त करने के लिए अप्रवासी प्रभाव कार्य बल अधिनियम को पारित किया गया; और,

जबकि, इलिनॉय राज्य, सभी सरकारी क्षेत्रों में बेहतर सरकारी कार्य प्रथाओं, सार्वजनिक नीतियों और कार्यक्रमों को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण और कार्य योजना तैयार और लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है;

अतः, मैं, जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), इलिनॉय का राज्यपाल (गवर्नर), इलिनॉय राज्य के संविधान के अनुच्छेद V द्वारा मुझमें निहित कार्यकारी प्राधिकार के आधार पर, इसके द्वारा निम्नवत आदेश देता हूं:

1. **स्वागतकारी इलिनॉय कार्यालय की स्थापना**

स्वागतकारी इलिनॉय कार्यालय, इलिनॉय मानव सेवा विभाग द्वारा बनाया, प्रशासित और उसी में रखा जाएगा, और गवर्नर के कार्यालय और इलिनॉय मानव सेवा विभाग के सचिव को रिपोर्ट करेगा।

स्वागतकारी इलिनॉय कार्यालय के निम्नलिखित कर्तव्य, अधिकार और जिम्मेदारियां होंगी:

A. इलिनॉय को अप्रवासियों और शरणार्थियों के लिए एक अधिक स्वागतकारी और न्यायसंगत राज्य बनाने के लिए एक नीति और कार्य प्रथा ब्लूप्रिंट तैयार करने और सहयोग करने के लिए आंतरिक और बाहरी हितधारकों का आह्वान और नेतृत्व करना, जिसमें अप्रवासी प्रभाव कार्य बल अधिनियम और अन्य प्रासंगिक विधियों का कार्यान्वयन शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।
B. अप्रवासी और शरणार्थी समुदायों की बेहतर सेवा करने के लिए अप्रवासियों और शरणार्थियों से संबंधित आर्थिक और जनसांख्यिकीय प्रवृत्तियों और मुद्दों की पहचान, शोध, विश्लेषण और समाधान करना।
C. अप्रवासियों और शरणार्थियों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर राज्यपाल को नीति सम्बन्धी सुझाव देना, जिसमें रोजगार बाधाओं को खत्म करने, स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करने और सामाजिक सेवाओं को मजबूत बनाने की रणनीति शामिल है।
D. इलिनॉइस में अप्रवासी और शरणार्थी समुदायों के लिए लचीलापन और पुनर्प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण सेवाओं और समर्थनों तक पहुँचने की व्यवस्था है, यह सुनिश्चित करने के लिए एक अंतर-एजेंसी प्रयास के एक हिस्से के रूप में राज्यपाल कार्यालय द्वारा निर्धारित की गई राज्य एजेंसियों के साथ काम करना।
E. अप्रवासी और शरणार्थी समुदाय, उन सेवाओं और कार्यक्रमों तक पहुंचने की व्यवस्था है, जिन्हें पाने के लिए वे राज्य और संघीय स्तर पर योग्य हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए बाहरी अभियानों, सामुदायिक संसाधनों और रिकॉर्ड एकत्र करने की प्रक्रियाओं को विकसित और कार्यान्वित करना।
F. इलिनॉय के अप्रवासी और शरणार्थी समुदायों की सफलता को बढ़ावा देना और उसका जश्न मनाना।

2. **सीनियर इमिग्रेशन फेलो की स्थापना**

एक सीनियर इमिग्रेशन फेलो को गवर्नर द्वारा नियुक्त किया जाएगा, जो इलिनॉय मानव सेवा विभाग (llinois Department of Human Services) के सचिव को रिपोर्ट करेगा और इलिनॉय मानव सेवा विभाग (llinois Department of Human Services) में स्थित होगा। **सीनियर इमिग्रेशन फेलो**, इलिनॉय मानव सेवा विभाग और राज्यपाल कार्यालय की मदद से, स्वागतकारी इलिनॉय कार्यालय के सभी पहलुओं का नेतृत्व करेगा।

3. **बचत का खंड (सेविंग्स क्लॉज़)**

इस कार्यकारी आदेश में मौजूद किसी भी बात का अर्थ किसी भी संघीय या राज्य कानून या विनियम के उल्लंघन के रूप में नहीं निकाला जाएगा। जब तक इस आदेश में विशेष रूप से संदर्भित नहीं किया जाता है, इस आदेश में कुछ भी किसी भी राज्य एजेंसी की मौजूदा वैधानिक शक्तियों को प्रभावित या परिवर्तित नहीं करेगा या किसी राज्य एजेंसी के पुनर्मूल्यांकन या पुनर्गठन के रूप में नहीं माना जाएगा।

4. **पूर्ववर्ती कार्यकारी आदेश**

यह कार्यकारी आदेश किसी पूर्व कार्यकारी आदेश के किसी भी विपरीत प्रावधान का अधिक्रमण करता है।

5. **पृथक्करणीयता खंड**

यदि इस कार्यकारी आदेश का कोई भी अंश किसी सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा अमान्य पाया जाता है तो शेष उपबंध पूर्णतः लागू एवं प्रभावी रहेंगे। इस कार्यकारी आदेश के उपबंध विच्छेदनीय हैं।

6. **प्रभावी होने की तारीख**

यह कार्यकारी आदेश राज्य सचिव (सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट) के पास इसे दायर किए जाने पर तत्काल प्रभावी हो जाएगा।

जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), राज्यपाल (गवर्नर)

राज्यपाल (गवर्नर) द्वारा 2 अगस्त, 2021 को जारी
राज्य सचिव (सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट) द्वारा दायर 2 अगस्त, 2021